कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक 05.05.2023

प्रेस नोट

थाना रामनगर पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त सद्दाम को जिलाबदर का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के क्रम में व प्रभारी निरीक्षक रामनगर के कुशल निर्देश में दिनांक 05/05/2023 को उ0नि0 श्री शिव सहाय सरोज, का0 संदीप गुप्ता, का0 रविशंकर व का0 शिवबाबू पाल के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास ने सूचना दिया कि थाना क्षेत्र का गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी सद्दाम उपरोक्त अपने घर आया हुआ है और इस समय पंचवटी के पास खड़ा है। यदि जल्दी किया जा तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पाकर हमराही कर्मचारीगण को साथ लेकर मौके पर पहुंचर हिकमत अमली से घेरघारकर पकड़ लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सद्दाम पुत्र असरफ निवासी 3 / 346 रामपुर थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी 26 वर्ष बताया। अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग :-

मु0अ0सं0-0092/2023 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05/05/2023 को उ0नि0 श्री शिव सहाय सरोज को जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना रामनगर क्षेत्र का गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी सद्दाम पुत्र असरफ निवासी 3 / 346 रामपुर थाना रामनगर वाराणसी उम्र 26 वर्ष अपने घर आ गया है और पंचवटी के पास खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर जिला बदर हुए अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 दिनांक 18.01.2023 से 6 माह के लिए श्रीमान् अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश से जिला बदर किया गया है किन्तु अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बिना किसी अनुमति के आकर अपने घर रह रहा था। जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह को दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

1- सद्दाम पुत्र असरफ निवासी 3 / 346 रामपुर थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 26 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक

1- मु0अ0सं0-0011/2021 धारा 302/201/120बी भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

2- मु0अ0सं0- 0195/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी

गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान :- 05/05/2023 समय 10.20 बजे, पंचवटी तिराहा रामनगर वाराणसी।

बरामदगी का विवरण –

निल

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1- प्र0नि0 श्री भरत उपाध्याय थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

2- उ0नि0 श्री शिव सहाय सरोज चौकी प्रभारी कस्बा थाना रामनगर कमि0 वाराणसी।

3- का0 संदीप गुप्ता थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

4- का0 रविशंकर थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

5- का0 शिवबाबू पाल थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।